



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230659
CG-DL-E-23102021-230659

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4049]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/ आश्विन 30, 1943

No. 4049]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ ASVINA 30, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4403(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि लौह अयस्क खनन में लगी हुई सेवाएँ, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 16 के अंतर्गत आती है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएँ हैं;

और, केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2787(अ), तारीख 5 अगस्त, 2019 द्वारा अंतिम बार 5 अगस्त, 2019 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोकहित उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार करना लोक हित में अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार लौह अयस्क खनन में लगी हुई सेवाओं को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/13/97-आईआर(पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2021

S.O. 4403(E).— Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Iron Ore Mining, which is covered under item 16 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 5th August, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2787(E), dated the 5th August, 2019;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Iron Ore Mining to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from date of the publication of this notification.

[F. No. S-11017/13/97-IR(PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.